न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 09/2017

अपीलकर्ता	बनाम	उत्तरदातागण
1 मेहाराम पुत्र हरजीराम जाति जाट निवासी कुम्भावास (शिवकर) तहसील व जिला बाड़मेर		1 ग्राम पंचायत शिवकर व गालाबेरी जरिये सरपंच 2 जसाराम 3 गोमाराम 4 मूलाराम पिसरान हरजीराम 5 चनणी पत्नी हरजीराम 6 पुरखाराम पुत्र करनाराम जाति जाट निवासी कुम्भावास (शिवकर) तहसील व जिला बाड़मेर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act.

उपस्थिति :– 1 श्री वीरमाराम वकील अपीलकर्ता

आदेश

दिनांक 30.11.2017

संक्षिप्त में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलकर्ता व उतरदाता संख्या 02 से 05 हरजीराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान है। अपीलकर्ता के पिता व उत्तरदाता संख्या 02 से 04 के पिता व 05 के पति हरजीराम पुत्र करनाराम एवं उसके सहखातेदार पुरखाराम की संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा संख्या 388 रकबा 167.00 बीघा, खसरा संख्या 387 रकबा 0.04 बीघा की मौजा गालाबेरी वर्तमान राजस्व ग्राम कुम्भावास शिवकर में आई हुई है। अपीलकर्ता एवं उत्तरदाता संख्या 01 से 05 के वालिद हरजीराम का वर्ष 1997 में देहान्त हो गया। उसके देहान्त के पश्चात प्रथम वर्ग के जिवित वारिसान में अपीलान्ट मेहाराम, उत्तरदाता जसाराम, गोमाराम, मूलाराम व चनणीदेवी थे। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के अनुसार खातेदार हरजीराम के देहान्त पर उसकी सम्पति के अधिकार उसके सभी वारिसान में समान रूप से निहित हो गये। अपीलान्ट के पिता हरजीराम की फौतगी पर विरासत के नामान्तकरण की कार्रवाई अपीलान्ट के भाई उत्तरदाता संख्या 02 ने करवाई जिस पर पटवारी हल्का शिवकर ने विरासत का नामान्तकरण दर्ज करते समय हरजीराम के विधिक वारिसान मे उसके पुत्र मेहाराम के स्थान पर अशुद्ध रूप से मेवाराम अंकित कर दिया। अपीलकर्ता को इसकी जानकारी कृषि ऋण लेने हेतु पटवारी हल्का से जामबन्दी की प्रतिलिपि प्राप्त करने पर हुई। लिहाजा जानकारी से अन्दर म्याद अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त पारित नामान्तकरण संख्या 30 निरस्त कर अपीलकर्ता का नाम मेवाराम के स्थान पर मेहाराम सही दर्ज करने का आदेश फरवमावें।

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

अपील दर्ज कर उत्तरदातागण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। उत्तरदाता संख्या 01 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उसके विरूद्ध इकतरफा कार्रवई अमल में लाई गई। उत्तरदाता संख्या 02 से 06 द्वारा ईकबाली जवाब प्रस्तुत कर अपील में

Scanned by CamScanner

अंकित तथ्यों को स्वीकार कर माफिक अपील आदेश पारित करने पर उन्हे कोई आपति नही होना अवगत करवाया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, राशन कार्ड एवं पेन कार्ड का भी अवलोकन किया, जिसमे अपीलकर्ता का नाम मेहाराम दर्ज है। वकील अपीलकर्ता द्वारा अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए माफिक दस्तावेजात अपील स्वीकृत करते हुए नामान्तकरण सख्या 30 निरस्त कर हरजीराम के विधिक वारिसान में उसके पुत्र मेवाराम के स्थान पर सही नाम मेहाराम अंकित करवाने का निवेदन किया। वकील उत्तरदाता को इससे कोई आपति नही है।

प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि अपीलकर्ता के पिता हरजीराम के देहान्त पर पारित नामान्तकर सख्या 30 अनुसार मौजा गालाबेरी के खेत खसरा सख्या 388 रकबा 167.00 बीघा, खसरा सख्या 387 रकबा 0.04 बीघा मे हरजीराम के विधिक वारिसान मे उसके पुत्र मेहाराम का नाम अशुद्ध रूप से मेवाराम दर्ज हो गया था, जिसे शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अन्दर म्याद सुमार करते हुए स्वीकार की जाकर नामान्तकर सख्या 30 को निरस्त करते हुए मौजा गालाबेरी वर्तमान राजस्व ग्राम कुम्भावास शिवकर के खेत खसरा सख्या 388 रकबा 167.00 बीघा, खसरा सख्या 387 रकबा 0.04 बीघा मे हरजीराम के विधिक वारिसान मे उसके पुत्र मेहाराम का नाम अशुद्ध रूप से मेवाराम के स्थान पर मेहाराम शुद्ध किया जाता है। शेष नाम यथावत रहेगे। तहसीलदार बाडमेर को निर्देश दिये जाते है कि अपीलाधीन उक्त भूमि मे अपीलकर्ता मेहाराम का नाम शुद्ध दर्ज करते हुए नये सिरे से नामान्तकरण पारित करे।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाडमेर

आदेश आज दिनांक 30.11.2017 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाडमेर

Scanned by CamScanner